समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतांराकित प्रश्न संख्या:- 229

दिनॉक: - 09.08.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन एवं आर्थिक सहायता नए पेंशन आवेदकों को आवेदन करने के पश्चात कितने दिनों में प्राप्त होती है; उसका पूर्ण विवरण दें;	45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।
(ख)	समाज कल्याण विभाग में आवेदन स्वीकृत करने के कितने चरण हैं और उन चरणों में क्या क्या कार्यवाही की जाती है; उसका पूर्ण विवरण दें;	समाज कल्याण विभाग में आवेदन स्वीकृत करने के चरण निम्न प्रकार हैं– 1. ऑपरेटर लेवल पर आवेदनों की एंट्री की जाती है। 2. वेरीफायर लेवल पर आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाती है। 3. अधीक्षक लेवल पर योग्य पाए गए आवेदनों की अनुशंसा की जाती है। 4. जिला कार्यालय अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं।
(ग)	समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ईडब्लूएस/एससी/एसटी/ओबीसी आदि श्रेणी के व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं; उसका पूर्ण विवरण दें; और	समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत एससी/एसटी/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।
(घ)	समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग से शादी के लिए आर्थिक सहायता एवं विधवा आर्थिक सहायता किन लोगों को प्रदान की जाती है; उसका पूर्ण विवरण दें?	विधवाओं, विवाह विच्छेद, तलाकशुदा, अलग/असहाय या परित्यक्त महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अनाथ लड़की के अभिभावकों जिसमें गृह/संस्था अथवा पोषक माता–पिता अथवा अनाथ लड़की को उसके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-2